

प्रेस विज्ञप्ति
थाना-पवई

बहला फूसला कर लड़की को भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.09.2020 को वादी जगदीश पुत्र श्री राम ग्राम गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी की दिनांक 06.09.2020 को मेरी लड़की पूनम उम्र 18 वर्ष को रविचन्द्र उर्फ सर्वेश यादव पुत्र अखिलेश यादव निवसी गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने दिन में लगभग 11.00 बजे बहला फूसला कर भगा ले गया। वादी के तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना पर मु0अ0सं0 143/20 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 12.09.20 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी महोदय व थानाध्यक्ष के सतत परवेक्षण में उ0नि0 मनोज कुमार विश्वकर्मा मय हमराहियान के क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 143/20 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रविचन्द्र उर्फ सर्वेश यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़ को गोधना बाजार से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 143/20 धारा 363,366 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रविचन्द्र उर्फ सर्वेश यादव पुत्र अखिलेश यादव निवसी गोधना थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मनोज कुमार विश्वकर्मा थाना पवई आजमगढ़
2. हे0का0 सुरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़
3. का0 रमेश यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़

थाना-जहानागंज

दुराचार का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.09.2020 को जहानागंज थाना क्षेत्र की वादिनी ने थाने पर लिखित तहरीर दी की में तथा मेरे पति ईट भट्टा पर काम करते हैं मेरी लड़की उम्र 13 वर्ष घर पर अकेली रहती है मेरे घर पर मेरे दामाद का बड़ा भाई राजू चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान ग्राम (अतलस का पोखरा) अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ मेरे घर पर आता जाता था और मेरी लड़की को बहला फूसला कर अकेला पाकर गलत काम करता था। वादिनी की तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 199/20 धारा 376 भादवि व ¼ पास्को एकट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल परवेक्षण वांछित वारण्टी की गिरफ्तारी के चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 12.09.2020 को ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरी0 थाना जहानागंज मय हमराह को मुखबिर खास से सूचना मिली की मु0अ0सं0 199/2020 धारा 376 भादवि व ¼ पास्को एकट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजू चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान ग्राम (अतलस का पोखरा) अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ परदेशी मोड़ के पास खड़ा है शैघ्रता की जाये तो अभियुक्त को पकड़ा जा सकता है। अभियुक्त उपरोक्त को मुखबिर की खास सूचना पर समय करीब 06.05 बजे सुबह में परदेशी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 199/20 धारा 376 भादवि व ¼ पास्को एकट, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- राजू चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान ग्राम (अतलस का पोखरा) अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1- प्र0नि0 ज्ञानू प्रिया थाना-जहानागंज, आजमगढ़ मय हमराह।

थाना- कप्तानगंज

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.09.2020 को वादिनी सावित्री देवी पत्नी विद्या कान्त निवासी ग्राम बड़सरा आयमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 1. अब्दुल कलाम पुत्र इरशाद 2. अब्दुल रहमान पुत्र इरशाद 3. इरशाद पुत्र सौदागर साकिनान बड़सरा आईमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की लड़की मधुवाला को चाकू लेकर दरवाजे पर आकर गाली देते हुए दरवाजा पीटने, तथा लड़की का हाथ पकड़कर चकमा देकर भागने का प्रयास करना, जिससे आस-पास के लोग दहशत में है, और चार चमारी की लड़की और भगाएंगे, खिलाफत करने पर जाली मुकदमें में फसा दें की धमकी देने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके सम्बंध में

थाना स्थानयी पर मु 0अ0सं0 148/2020 धारा 354क/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी एसटी एक्ट व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण –पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर आजमगढ के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये गये अभियान में आज दिनांक 11.09.2020 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक आनन्द कुमार सिंह मय हमराहीयान थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2020 धारा 354क/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी एसटी एक्ट व 7 सीएलए एक्ट में नामजद अभियुक्तगण 1. अब्दुल कलाम पुत्र इरशाद 2. अब्दुल रहमान पुत्र इरशाद 3. इरशाद पुत्र सौदागर साकिनान बड़सरा आईमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ को उसके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 148/2020 धारा 354क/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी एसटी एक्ट व 7 सीएलए एक्ट थाना कप्तानगंज , जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अब्दुल कलाम पुत्र इरशाद
2. अब्दुल रहमान पुत्र इरशाद
3. इरशाद पुत्र सौदागर साकिनान बड़सरा आईमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक आनन्द कुमार सिंह
2. कां0 अवधेश सिंह
3. कां0 सूर्यजीत सिंह
4. म0कां0 प्रतिक्षा सिंह

थाना मुबारकपुर

01 नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

आज दिनांक 12.9.020 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंहमय हमराह द्वारा पर मु0अ0सं0- 232/20 धारा 419 ,420,467,468,471 भा.द.वि. से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता सम्पति पत्नी रामप्रसाद निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ को ग्राम बम्हौर से सठियाँव चौराहे के पास से समय 10.35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

- 1- मु0अ0सं0- 232/20 धारा 419,420,467,468,471 भा.द.वि. थाना मुबारकपुर आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्ता -

- 1- सम्पति पत्नी रामप्रसाद निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

- 1- व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ मय हमराह ।